

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 272 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आई के एफ फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अभिषेक जांगिड  
शाखा कार्यालय:-236-237, थर्ड फ्लोर, एसडीसी मोनार्च, आम्रपाली मार्ग, वैशाली  
नगर जयपुर

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. बागडोदिया सीसी एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाइ जरिये प्रापराईटर मोहम्मद अयूब कुरैशी वार्ड न. 8 रहमानिया कॉम्प्लेक्स नियर इस्लामिया स्कूल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर 332311
2. मोहम्मद अयूब कुरैशी पुत्र मोहम्मद हनीफ कुरैशी निवासी नियर जामा मस्जिद वार्ड न. 9 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर 332311
3. साजिद पत्नी मोहम्मद अयूब कुरैशी निवासी नियर जामा मस्जिद वार्ड न. 9 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर 332311

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 23 फरवरी, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राकेश शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः बागडोदिया सीसी एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाइ, मोहम्मद अयूब कुरैशी पुत्र मोहम्मद हनीफ कुरैशी व साजिद पत्नी मोहम्मद अयूब कुरैशी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण के स्वामित्व की बंधक

(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



प्रथम अचल सम्पत्ति पट्टा न. 87 वार्ड न. 9 नियर जामा मस्जिद लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 120.41 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में मकान इस्माईल पुत्र नूरद्दीन का, दक्षिण में मकान मोहम्मद हनीफ, पूर्व दिशा में रास्ता एवं पश्चिम दिशा में नोहरा मोहम्मद हनीफ का स्थित है।

द्वितीय अचल सम्पत्ति वार्ड न. 06 नियर टोडी कुई तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 383.92 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में आम रास्ता 25 फीट, दक्षिण में जमीन कमल टोडी, प्रमोद सोनी, महेश शर्मा, पूर्व दिशा में जमीन विश्वनाथ वगैरह जाजोड़िया की भूमि एवं पश्चिम दिशा में मन्दिर स्थित है।

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर कुल ₹30,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये तीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.09.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 10.09.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **बागडोदिया सीसी एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाय, मोहम्मद अयूब कुरैशी पुत्र मोहम्मद हनीफ कुरैशी व साजिद पत्नी मोहम्मद अयूब कुरैशी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण के स्वामित्व की बंधक

**प्रथम अचल सम्पत्ति पट्टा न. 87 वार्ड न. 9 नियर जामा मस्जिद लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 120.41 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उतर दिशा में मकान इस्माईल पुत्र नूरद्दीन का, दक्षिण में मकान मोहम्मद हनीफ, पूर्व दिशा में रास्ता एवं पश्चिम दिशा में नोहरा मोहम्मद हनीफ का स्थित है।

**द्वितीय अचल सम्पत्ति वार्ड न. 06 नियर टोडी कुई तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 383.92 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उतर दिशा में आम रास्ता 25 फीट, दक्षिण में जमीन कमल टोडी, प्रमोद सोनी, महेश शर्मा, पूर्व दिशा में जमीन विश्वनाथ वगैरह जाजोड़िया की भूमि एवं पश्चिम दिशा में मन्दिर स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 फरवरी, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

↓  
(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

